

उनवान:- ऋषिराज सिंह बनाम वृजवर्धन सिंह वगैरे

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क  
2020

फर्द अहकाम

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए ग्राम (पदमपुर) तहसील टोडाभीम जिला करौली की विवादग्रस्त आराजी ख0न0 533/2.15, 536/1.43, 537/0.78, 547/0.44, 689/0.49, 700/0.95, 702/0.62, 707/1.69, 718/0.26, 727/0.26, 728/0.10, 729/0.18, 80/0.03, कुल कित्ता 13 कुल रकवा 9.38 है0 में गैरसायलान आराजी को खुर्द-बुर्द नहीं करने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दिनांक 20.7.2020 तक पाबन्द किया जाता है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/दौकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.07.2020 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

20.7.20 प्रार्थी वकील उप0) प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द...

ADV. ने वकीलता पत्र पेश किया। जब पेश करने दि...

14.7.20 को पेशा है।



# न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
23 <sup>09</sup>	<p>शारी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी.....<u>रुपाना</u>.....<u>24.10.24</u> हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक.....<u>24.10.24</u> को पेश हो।</p>
24-10-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षों का वाजिब उपस्थित। वकील पक्ष कारण को बख्त से विस्तृत बखितम बखत दिया गया। वाजिब बखत दिनांक 25-11-24 को पेश हो।</p>
25-11-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उभय पक्षों कोई उपस्थित नहीं बल्कि जावाजि दिखई वाही इसके उपखण्ड भी कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए पक्षों का उक्त प्रकरण का पक्षों वकील की छठम इजिटी छठम पैवी में रकारिज किया जा रहा है। पत्रावली पेशल सुभार होकर नख्त से कम कर डाखिल उपरत हो।</p>